

- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थनों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु उचित रूप से दुरस्ती की हेतु हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गयी है। अतः दुरस्ती परस्पर अभिलेख दुरस्ती की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से कि प्रार्थनों ने प्रार्थना की तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती परस्पर अभिलेख में ही अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने को आदेश दिये जाते हैं :-

1	2	पूर्व इन्द्राज		स्वीकृत किया गया इन्द्राज		8	
		3	4	5	6		7
ग्राम का नाम	खसरा संख्या	खातोदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातोदार का नाम	खसरा संख्या	
जोगड़ी	170	नात्रसम पुत्र	908	0.01	नात्रसम पुत्र	908	0.01
		श्रीधर कौम	909	0.07	श्रीधर कौम	909	0.07
		मैधवंशी सां. दे	910	0.01	मैधवंशी सां. दे	910	0.01
		आनंद शहन	911	10.07	आनंद शहन	911	10.07
		असुर			असुर		

397

21 X 21

आदेश :-

निम्नलिखित पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, भौलासर

आदेश :-

निम्नलिखित पालनार्थ :-

1. पालनार्थ :-

जोगड़ी को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थान नहीं हो तो निर्णय

शिविर प्रगारी

(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.रवाना)

दिनांक :-

शिविर प्रगारी

शिविर प्रगारी

(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.रवाना)
EGKO-2021, पं.स. भौलासर

दिनांक :-

उप तहसीलदार, भौलासर